न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 94 / 2025

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अनाराम पुत्र केसाराम जाति सीरवी निवासी पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. चौथाराम पुत्र मगनाराम 2. देवाराम पुत्र देदाराम 3. धीराराम पुत्र मगनाराम 4. पनाराम पुत्र देदाराम 5. मदनलाल पुत्र केसाराम 6. राजाराम पुत्र केसाराम 7. सुखाराम पुत्र मगनाराम जातिगण सीरवी निवासीगण पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली राज0। 8. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **श्री पवन सैन अधिवक्ता प्रति सं0 01, 3 से 7 उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक – 18/12/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पिपलाद, प0ह0 केलवाद तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता सं0 04 खसरा नम्बर 154 से 165, 167 से 175 कुल खसरा 21 कुल रकबा 17.6600 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 03.09.2025 को बाद सुनवाई प्रतिवादीगण सं0 02 व 08 के बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रति सं0 01, 03 से 07 द्वारा सहमति जाहिर करने से वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व/2025/1508 दिनांक 28.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 15.10.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

अधिकारी

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 16.10.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा पिपलाद, प0ह0 केलवाद तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता सं0 04 खसरा नम्बर 154 से 165, 167 से 175 कुल खसरा 21 कुल रकबा 17.6600 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम पीपलाद में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	अनाराम पुत्र केसाराम कौम सिरवी सा. देह खातेदार	155/1	1.95	चा.प्र. जा.अ. बंजड़	1.20 18.48 1.20
		01	1.95	–	20.88
2.	पनाराम पुत्र देदाराम कौम सिरवी सा0 देह खातेदार	155 156	2.14 0.74	चा.प्र. जा.अ. बंजड़ चा.प्र. जा.अ. बंजड	2.00 19.74 1.36 8 1.68 0.84
		02	2.88	–	33.62
3.	चौथाराम पुत्र मगनाराम हि0 1/3 धीराराम पुत्र मगनाराम हि0 1/3 सुखाराम पुत्र मगनाराम हि0 1/3 कौम सीरवी सा0 देह खातेदार	155/2 156/3 157 158 159 160 165 175/2	2.14 2.20 0.2612 0.21 0.19 0.39 0.0836 0.1400	चा.प्र. जा.अ. बंजड़ चा.प्र. जा.अ. बंजड़ चा.प्र. बंजड़ चा.प्र. जा.अ. बंजड़ चा.प्र. बंजड चा.प्र. जा.अ. बंजड़	2.00 19.74 1.36 23.20 5.60 2.44 8.448 0.10 6.80 0.08 6 0.08 9.20 1.12 0.16 2.9440 0.02 1.20 0.84 0.10
		08	5.6148	–	91.4320
4.	राजाराम पुत्र केसाराम हि0 1/2 कौम सीरवी	155/4	0.19	चा.प्र. जा.अ.	0.40 1.40

	मदनलाल पुत्र केसाराम हि0 1/2 सीरवी सा0 देह खातेदार			बंजड	0.16
		156/4	2.20	चा.प्र. जा.अ. बंजड	23.20 5.60 2.44
		172	0.32	चा.प्र. जा.अ.	10.40 0.84
		173	0.32	चा.प्र. जा.अ. बंजड	4.80 1.68 0.16
		171/1	0.25	चा.प्र.	10
		175	0.39	चा.प्र. जा.अ. बंजड	3.20 3.64 0.10
		06	3.67	–	68.02
5.	देवाराम पुत्र देदाराम कौम सिरवी सा0 देह खातेदार	156/1	1.48	चा.प्र. जा.अ. बंजड	15.20 3.64 1.68
		170	0.04	चा.प्र. बंजड	1.20 0.02
		161	0.41	चा.प्र. बंजड.	13.20 0.16
		174	0.30	चा.प्र. जा.अ.	9.60 0.84
		175/1	0.15	चा.प्र. जा.अ. बंजड़	1.20 1.12 0.08
		171	0.10		
		173/1	0.19	चा.प्र. चा.प्र. जा.अ. बंजड	4 3.20, 1.26 0.04
		07	2.67	–	56.44
6.	अनाराम पुत्र केसाराम हि0 1/9 चौथाराम पुत्र मगनाराम हि0 1/9 देवाराम पुत्र देदाराम हि0 1/3 धीराराम पुत्र मगनाराम हि0 1/9 मदनलाल पुत्र केसाराम हि0 1/9	162	0.01	गै0मु0 बेरा	–
		163	0.13	गै0मु0	–

	राजाराम पुत्र केसाराम हि0 1/9 सुखाराम पुत्र मगनाराम हि0 1/9 कौम सीरवी सा0 देह खातेदार				
		02	0.14	–	–
7.	चौथाराम पुत्र मगनाराम हि0 1/12 देवाराम पुत्र देदाराम हि0 1/2 धीराराम पुत्र मगनाराम हि0 1/12 मदनलाल पुत्र केसाराम हि0 1/8 राजाराम पुत्र केसाराम हि0 1/8 सुखाराम पुत्र मगनाराम हि0 1/12 कौम सीरवी सा0 देह खातेदार	167 168 169	0.26 0.02 0.04	चा.प्र. जा.अ. बंजड चा.प्र. चा.प्र. बंजड़	4 1.54 0.10 0.80 1.20 0.02
		03	0.32	–	7.66
8.	चौथाराम पुत्र मगनाराम हि0 1/9 देवाराम पुत्र देदाराम हि0 1/6 धीराराम पुत्र मगनाराम हि0 1/9 पनाराम पुत्र देदाराम हि0 1/6 मदनलाल पुत्र केसाराम हि0 1/6 राजाराम पुत्र केसाराम हि0 1/6 सुखाराम पुत्र मगनाराम हि0 1/9 कौम सीरवी सा0 देह खातेदार	155/3 154 156/2 157/1 164 165/1	0.06 0.05 0.18 0.0688 0.03 0.0264	चा.प्र. जा.अ. बंजड गै.मु. चा.प्र. जा.अ. बंजड़ चा.प्र. बंजड़ गै.मु. चा.प्र. बंजड़	0.40 0.42 0.04 – 2.40 0.42 0.18 1.9520 0.0400 – 0.6560 0.0200
		06	0.4152	रास्ता प्रयो0	6.5280

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज